

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. निलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष,
निवासी- मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- चन्द्रा एजेन्सी, मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही

प्रकरण संख्या: 25/2019

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006”

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. निलेश अग्रवाल, प्रतिवादी अभियुक्त स्वयं

-: निर्णय :-

दिनांक 27 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.7.2019 को समय 11.30 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति निलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही है एवं फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के गोदाम के अन्दर प्लास्टिक की बैग में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के 150x1 Kg के पैकड पैकेटों में से 4x1 Kg पैकड पैकेट जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर हैं। फार्म संख्या- 5ए तैयार
.....पेज दो पर

किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली गत्ते के डिब्बे दिखाये एवं खरीद शुदा Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के पैकड पैकेटों को गत्ते के डिब्बों में अलग अलग रखकर टेप से चिकाकर बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये हैं। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-979 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 14.7.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla)का नमूना S-979 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरणपेज तीन पर

में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla)का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादी अभियुक्त निलेश अग्रवाल उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 14.7.2019 को मेरी फर्म से इन्सटेन्ट सोफटी रेडी मिक्स का नमूना जांच हेतु लिया था उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Best Befor Small Letters में लिखा होना पाया गया है। मेरी पास इन्सटेन्ट सोफटी रेडी मिक्स का बिल मिसप्लेस हो गया है। भविष्य में इस प्रकार के मिस ब्राण्ड खाद्य पदार्थों का विक्रय नहीं करूंगा। यह मेरी प्रथम गलती है जिस मैं स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझ इस मुकदमें से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में उक्तानुसार प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 20.11.2019 को ही उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी अभियुक्त ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि वह छोटा सा व्यापारी है व भविष्य मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय नहीं करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 14.7.2019 को 11.30 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय

.....पेज चार पर

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से निलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री रमन अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द अग्रवाल, सदर बाजार, माउन्ट आबू एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बाँय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता निलेश अग्रवाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान के गोदाम के अन्दर प्लास्टिक बेग में मौजूद खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के 150 पैकड पैकेट (प्रत्येक पैकेट एक किलोग्राम) में से Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के 4 पैकड पैकेट (प्रत्येक पैकेट एक किलोग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता निलेश अग्रवाल व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली गत्ते के डिब्बे दिखाये एवं खरीदशुदा Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के पैकड पैकेटों को गत्ते के डिब्बों में अलग अलग रखकर टेप से चिपकाकर बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-979, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता निलेश अग्रवाल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-979 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता निलेश अग्रवाल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये और आवेदक

.....पेज पांच पर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता निलेश अग्रवाल व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनु पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता निलेश अग्रवाल से खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरौही के द्वारा दिनांक 15.7.2019 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को दिनांक 14.7.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) का नमूना संख्या S-979 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./550/Act/2019/605 दिनांक 25.7.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता निलेश अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अभियुक्त ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix
.....पेज छः पर

Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) की खरीद का बिल प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, उक्त मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Instant Softee Ready Mix Powder (Cheiro Brand)(Vanilla) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अभियुक्त ही उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी निलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म चन्द्रा एजेन्सी, मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी निलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- मैन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही को आदेशित को किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

